

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

का.आ. 3125(अ).—केंद्रीय सरकार, रसायनिक आयुध अभिसमय नियम, 2016 के नियम 8 के साथ पठित रसायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1491(अ), तारीख 13 सितंबर, 2006 में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“2. रसायन संबंधी अभिसमय से उपाबद्ध अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में सूचीबद्ध विषैले रसायन या उसके पूर्वागामी की दशा में, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रसायनिक आयुध अभिसमय में उपनिदेशक स्तर के और उससे ऊपर के अधिकारी और अभिसमय के रसायनों से उपाबद्ध अनुसूची 3 में सूचीबद्ध विषैले रसायन या उसके पूर्वागामी की दशा में राष्ट्रीय प्राधिकरण रसायनिक आयुध अभिसमय में तकनीकी अधिकारी के स्तर के और उससे ऊपर के अधिकारी और विविक्त कार्बनिक रसायनों के अंतर्गत ऐसे विविक्त कार्बनिक रसायन भी हैं, जिनमें फास्फोरस, सल्फर या फ्लोरीन के तत्व अंतर्विष्ट हैं।”।

[फा.सं. सी. I-40015/4/2013-रसा. I]

समीर कुमार बिसवास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 1491(अ), तारीख 13 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

S.O. 3125(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000) read with rule 8 of the Chemical Weapons Convention Rules, 2016, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, number S.O. 1491(E), dated the 13th September, 2006, with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

“2. Officers of the level of Deputy Director and above in the National Authority, Chemical Weapons Convention in case of Toxic Chemical or Precursors listed in the Schedules 1 and 2 in the Annex on Chemicals to the Convention, and Officers of the level of Technical Officer and above in the National Authority, Chemical Weapons Convention in case of Toxic Chemical or Precursor listed in the Schedule 3 in the Annex on Chemicals to the Convention and any Discrete Organic Chemicals including those Discrete Organic Chemicals containing elements of phosphorous, sulphur or fluorine.”.

[F. No. C.I-40015/4/2013-Ch.I]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Official Gazette of India *vide* number S.O.1491(E), dated the 13th September, 2006.